

पून्म-11

अपर प्रधान न्यायाधीश-02

उन्नाव|

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
उन्नाव।

विषय:-

अधोहस्ताक्षरी के लखनऊ स्थित 3 BHK Flat Super Area 144.09 sqm, Built-up area 122.90 sqm No.-SG/R/703, Block-R, Sargam Apartment sector-J(Extension), Jankipuram, Lucknow के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


ससम्मान निवेदन है कि—

1. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पति श्री मनीष निगम जो कि न्यायिक अधिकारी है और वर्तमान में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव के पद पर कार्यरत है के साथ संयुक्त रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण से उपरोक्त फ्लैट सन 2011 में बुक कराया गया था जिसकी रजिस्ट्री एवं कब्जा दिनांक-22.04.2019 को अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। उक्त क्रय सम्बन्धी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को रजिस्ट्री के पश्चात प्रेषित कर दी गई थी।
2. अधोहस्ताक्षरी एवं उसके पति न्यायिक अधिकारी है तथा प्रत्येक 03 वर्ष में भिन्न-भिन्न जनपदों में नियमानुसार स्थानान्तरण होता रहता है। इस कारण रजिस्ट्री एवं कब्जा लेने के पश्चात उपरोक्त विषयक फ्लैट का वर्तमान में कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त उक्त फ्लैट जानकीपुरम क्षेत्र में है जो कि मुख्य शहर से दूर है। इसलिए निकट भविष्य में अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा उक्त फ्लैट के इस्तेमाल की संभावना नहीं है। इस कारण अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त विषयक फ्लैट को विक्रय करना चाहती है।
3. श्री दीपांशु निगम पुत्र स्व० शशिकांत निगम निवासी म.न.-1198/8 नया नगर सिरवारा रोड सुल्तानपुर 228001 से उक्त फ्लैट को उनकी पत्नी कीर्ति निगम के साथ संयुक्त रूप से क्रय किये जाने की वार्ता हुई है तथा वो मुबलिंग 55 लाख रु० में उक्त फ्लैट क्रय करने को तैयार है।
4. इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी व उसके पति का, क्रेता श्री दीपांशु निगम या उनकी पत्नी कीर्ति निगम से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही क्रेता श्री दीपांशु निगम या उनकी पत्नी कीर्ति निगम का कोई वाद अधोहस्ताक्षरी व उसके पति के न्यायालय में लम्बित है और न ही क्रेता श्री दीपांशु निगम या उनकी पत्नी कीर्ति निगम से सम्बन्धित कोई भी वाद अधोहस्ताक्षरी व उसके पति के द्वारा कभी निर्णित या निस्तारित किया गया है।
5. माननीय महोदय को सादर अवगत यह भी कराना है कि चूँकि उक्त फ्लैट अधोहस्ताक्षरी व उसके पति श्री मनीष निगम द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है। अतः श्री मनीष निगम द्वारा भी यह प्रत्यावेदन पृथक में प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः श्रीमान जी विद्वान निवेदन है कि उपरोक्त विषयक फ्लैट के विक्रय की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी यह प्रत्यावेदन माननीय न्यायालय के समक्ष सादर अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशनार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय


पून्म-11/03/08/2024
अपर प्रधान न्यायाधीश-02

उन्नाव।

दिनांक-